

चत्तीसगढ़ शासन,
पशुधन विकास विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
—:: आदेश ::—

नवा रायपुर, दिनांक ३० मई, २०२३

क्रमांक एक ५-१७/२०१७/३५ :-डॉ० डी.एस. धुव, तत्कालीन उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला कांकेर (वर्तमान उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला गरियाबंद) एवं डॉ० पी.एल.सरल, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, कार्यालय उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला कांकेर के विरुद्ध थाना-आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करण्शन व्यूरों रायपुर, इकाई जगलदपुर में अपराध क्र. २१/२०१२ के अंतर्गत भा.द.सं. धारा-४२०, ४१९, ४६७, ४६८, ४७१, १२० वी एवं धारा १३ (१)सी, १३(२) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया।

२. उक्त अपराध क्र. २१/२०१२ अंतर्गत दिनांक २४.०८.२०१७ को ४८ घंटे से अधिक जिला जेल कांकेर में निरुद्ध रहने के कारण डॉ० धुव को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक १३.०९.२०१७ द्वारा एवं डॉ० सरल के फरार रहने तथा मान० न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने के कारण विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक २२.१२.२०१७ द्वारा निलंबित किया गया।

३. डॉ० धुव एवं डॉ० सरल की निलंबन अवधि एक वर्ष से अधिक हो जाने के कारण निलंबन अवधि का निराकरण माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रखते हुए कमशः विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक ०६.१०.२०१८ एवं २९.०६.२०१९ द्वारा निलंबन से बहाल किया गया।

४. माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण कांकेर द्वारा पारित आदेश दिनांक २९.०७.२०२२ में अभियुक्तगणों डॉ० डी.एस. धुव, उप संचालक एवं डॉ० पी.एल.सरल दोनों दोषसिद्धि पाये गये। आपराधिक कृत्य एवं अपराध कारित करने की परिस्थिति को देखते हुए दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं १०००-१००० रुपये अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की अदायगी नहीं करने की दशा में एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

५. माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण कांकेर द्वारा पारित आदेश दिनांक २९.०७.२०२२ में अभियुक्तगणों को दण्डित किया गया है, जो छ०ग०सिविल सेवा (आचरण) नियम, १९६५ के नियम-३(१) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।

६. माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण कांकेर द्वारा पारित आदेश दिनांक २९.०७.२०२२ एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक ०८.०२.१९९९ एवं २७.०९.२०१० के परिप्रेक्ष्य में डॉ० डी.एस. धुव, उप संचालक एवं डॉ० पी.एल.सरल, पशु चिकित्सा सह शल्यज्ञ को चत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम १९६६ के नियम (नी) में निहित प्रावधान अनुसार "सेवा से पदब्युत करने (Dismiss)" की शास्ति अधिरोपित की गयी।



करने का निर्णय प्रशासकीय विभाग द्वारा दिनांक 07.11.2022 को अनंतिम रूप से लिया गया, जिस पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से अभिमत चाहा गया जिसमें आयोग ने पत्र दिनांक 15.03.2023 द्वारा विभागीय निर्णय पर सहमति दी गई है।

अतः माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण कांकेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2022 एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 08.02.1999 एवं 27.09.2010 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतदद्वारा डॉ० डी.एस. धुव, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, गरियाबंद एवं डॉ० पी.एल.सरल, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, कार्यालय उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, कांकेर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) में निहित प्रावधान अनुसार मुख्य शास्ति अधिरोपित करते हुए जारी दिनांक से तत्काल शासकीय सेवा से पदच्युत (dismiss) करता है।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

Prabhat

(तुलिका प्रजापति)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

पशुधन विकास विभाग

30.5.23

नवा रायपुर दिनांक ३० मई, 2023

पृष्ठांकन क्रमांक 5—17 / 2017 / 35.

प्रतिलिपि :-

- (1) महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
 - (2) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, कृषि, पशुधन विकास एवं मछलीपालन विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
 - (3) स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छ.ग.शासन कृषि, पशुधन विकास एवं मछलीपालन विभाग, मंत्रालय रायपुर,
 - (4) संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें संचालनालय इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
 - (5) कलेक्टर, जिला—कांकेर / गरियाबंद,
 - (6) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रं 3557 / 205 / 2022 / जी.एस. दिनांक 15.03.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ।
 - (7) उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, गरियाबंद / कांकेर,
 - (8) जिला कोषालय अधिकारी, गरियाबंद / कांकेर,
 - (9) डॉ० डी.एस.धुव, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला—गरियाबंद,
 - (10) डॉ० पी.एल. सरल, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, कार्यालय, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, कांकेर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (11) आदेश फोल्डर।

Prabhat.
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पशुधन विकास विभाग

